

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 164]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 22, 1970/भाद्र 31, 1892

No. 164]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 22, 1970/BHADRA 31, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September 1970

G.S.R. 1718.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of Registration of Births and Deaths Act, 1969 (18 of 1969), the Central Government hereby appoints the first day of October, 1970, as the date on which the said Act shall come into force in the following areas of Jammu and Kashmir State:

1. The area comprised within the jurisdiction of the police station of Ramnagar in Udhampur district.
2. The area comprised within the jurisdiction of the police station of Kupwara in Baramulla district.
3. The area comprised within the limits of the Municipalities of Jammu and Srinagar.
4. The area comprised within the limits of Town Area Committees of Anantnag, Kathua and Leh.

[No. 1-1 (Enf)/70-VS.]

A. CHANDRA SEKHAR, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर 1970

जी० ए० आर० 1718.—जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 (1969 का 18) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अक्टूबर 1970 के प्रथम दिन को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को उक्त अधिनियम जम्मू-कश्मीर राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होगा अर्थात् —

1. उधमपुर जिले में रामनगर के पुलिस थाना की अधिकारिता के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।
2. बारामूला जिले में कुपवाड़ा के पुलिस थाना की अधिकारिता के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।
3. जम्मू और श्रीनगर की नगरपालिकाओं की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।
4. अनन्तनाग, कठूआ और लेह की नगरक्षेत्र समितियों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ।

[सं० 1-1 (इन्फो0)/70-वी० एस०]

ए० चन्द्रशेखर, संयुक्त सचिव ।